(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 401–दो/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2006 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्र0क0 285/2005–05 अपील

1– रामसुन्दर 2– बृजेशकुमार 3– हरिओम
4– रामशरण पुत्रगण स्व0 बालकदास
5– महिला सरवती पत्नि स्व.वालक दास
6– रामचन्द्र पुत्र मिहीलाल
7– हरीशंकर 8– रामशंकर पुत्रगण कीरतराम
9– महिला शांति पुत्री धुँआराम
10– महिला कटोरी पत्नि स्व. कालीचरण
11– देवेश पुत्र प्रेमनारायण
12– हरीश वालानिग सरपरस्त मॉ रामकली
उर्फ रामलली पत्नि स्व. प्रेमनारायण
13– महिला रामकली उर्फ रामलली पत्नि स्व. प्रेमनारायण
14– संजय उर्फ सियाराम पुत्र प्रेमनारायण
15– ओमप्रकाश पुत्र धुआराम
16– महिला रामवेटी पुत्री कालीचरण
17– मुस. हरबेटी पुत्री कालीचरण
18– महिला गीता पुत्री प्रेमनारायण
19– महिला पुष्पा पुत्री प्रेमनारायण सभी ग्राम
निवाजी का पुरा मौजा रजौघा तहसील पोरसा जिला मुरैना ——आवेदकगण

विरूद्ध

विजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी
निवाजी का पुरा मौजा रजौघा तहसील पोरसा जिला मुरैना ——अपावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श
(आज दिनांक 3– 8–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 285/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–11–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार पोरसा के समक्ष आवेदन देकर बताया कि मौजा रजोधा स्थित भूमि सर्वे कमांक 6550 रकबा 0.115 हैक्टर का रकबा 0.063 अंकित रहा है किन्तु भूलवश रकबा 0.115 हैक्टर अंकित हो गया है जिसे सॅशोधित किया जावे। तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 4/2002-03 अ-6 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 23-7-2003 से रकबा 0.063 हैक्टर करने वावत् सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने प्रकरण कमांक 128/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2004 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के आदेश दिनांक 6-7-2004 के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 285/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2006 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से तथा प्रकरण में आये तथ्यों से प्रकट होता है कि तहसील न्यायालय में खसरा सॅशोधन हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जांच/कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार मौजा रजोधा स्थित भूमि सर्वे कमांक 6550 का संबत 2041 के पूर्व 0.06 विसवा रहा है एंव संबत् 2041 के वाद का खसरा तैयार करते समय हलका पटवारी ने रकबा 6 विसवा के बजाय रकबा 11 विसवा कर दिया और यही तथ्य तहसीलदार के समक्ष जांच में उजागर हो जाने पर तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 4/2002-03 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 23-7-2003 से रकबा ठीक ही दुरूस्त किया है और ऐसे ही निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह व्दारा प्रकरण कमांक 128/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2004 में तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 285/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2006 में निकाले गये हैं । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा खसरा दुरूस्ती के सम्बन्ध

में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 285/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर